100 1 वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और रखरखाव – लोक प्रशासन में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सभी प्रविष्टियों का संप्रेषण

अधोहस्ताक्षरी को सीपीएसई के शीर्ष प्रबंधन में कार्यरत अधिकारियों के निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 18 अक्टूबर 2005 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी भी अधिकारी के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन (एपीआर) रिपोर्ट में रिकॉर्ड की गई सभी प्रतिकूल प्रविष्टियों की सूचना संबंधित अधिकारी को दी जानी चाहिए (डीपीई के दिनांक 18.10.2005 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 6)

एपीआर में प्रविष्टियों के संप्रेषण के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री देवदत्त बनाम भारत संघ के मामले में विचार किया गया है (वर्ष 2002 की सिविल अपील संख्या 7631)। दिनांक 12.05.2008 के अपने निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया है कि ''जब किसी लोक सेवक को प्रविष्टि की सूचना दी जाती है तो उसे यह अधिकार होना चाहिए कि वह संबंधित प्राधिकारी को ऐसी प्रविष्टि के विरूद्ध एक प्रतिवेदन दे सके और संबंधित प्राधिकारी को निष्पक्ष ढंग से एवं एक उचित अवधि के भीतर ऐसे प्रतिवेदन पर विचार करना चाहिए। हम यह भी निर्णय करते हैं कि प्रतिवेदन का निराकरण उस व्यक्ति से किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जिसने वह प्रविष्टि की है, अन्यथा इस बात की संभावना बनी रहेगी कि प्रतिवेदन पर पर्याप्त विचार किए बिना ही उसे सिरे से अस्वीकार कर दिया जाए क्योंकि यह अपील समकक्ष स्तर (Caesar to Caesar) पर की गई अपील होगी। यह लोक प्रशासन में निष्पक्षता और पारदर्शिता की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल होगा और इसके फलस्वरूप लोक सेवकों में निष्पक्षता की भावना पैदा होगी। राष्ट्र को एक आदर्श नियोक्ता होना चाहिए और अपने कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष भावना से कार्य करना चाहिए। केवल तभी सुशासन संभव होगा।'' निर्णय में आगे इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि उपर्युक्त निर्देश अन्य के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे।

3. सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त संदर्भित निर्णय के अनुपालन में सरकार ने इस आशय के निदेश जारी किए हैं कि समग्र ग्रेड सहित पूरी वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) संबंधित अधिकारी को संप्रेषित की जाएगी। इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट में की गई प्रविष्टियों और अंतिम ग्रेडिंग के विरूद्ध कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 14.05.2009 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न है।

4. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को अपेक्षाकृत अधिक परामर्शी एवं पारदर्शी बनाने के लिए सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि डीओपीटी द्वारा

जारी किए गए उपर्युक्त अनुदेशों को सीपीएसई के लिए भी लागू किया जाएगा। डीपीई के दिनांक 18.10. 2005 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 को उस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

5. अतः सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे डीओपीटी के दिनांक 14.05. 2009 के कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु का संज्ञान लें और डीओपीटी द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों का अपने संबंधित प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सीपीएसई द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करवायें।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 5(1)/2000–जीएम, दिनांक 28 मई 2009)

****